

5/6/18

पत्रावली लोक अदालत कम गोरगा मे पेश हुडे,  
 वहील वादनी दफा। वादनी दफा वांछित  
 रिजल्ट के कम मे वहील वादनी के सुना  
 गया। तथा रिजल्ट के कम मे दलबोधी काफ  
 एवं पत्रावली अदालत का उक्तबोधन किया गया  
 तथा विविध लेखारण किया, जिलेके नदरी  
 वार्ड का कम दुकलनीय प्रतीत होता है।  
 विवाहित मारपी पर बाद सेकमेन्ट वही वार्ड  
 के स्थान पर नदरी वार्ड दर्ज किया जाना  
 पत्रावली अदालत से बाहिर काला है। जहां  
 तक वरीयत का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध  
 मे वरीयत की विधिवत जांच एवं सुनावरि  
 उपरान्त निर्णय किया जाना उचित प्रतीत  
 होता है। अतानुसार बाद वादनी मांशुत  
 अदालत किया जाना उचित प्रतीत होता है।  
 अतः बाद वादनी मांशुत अदालत किया जाकर  
 आदेश दिया जाता है कि ग्राम शाहपुरा लखील  
 दीगोद स्थित खेत नं० 129 रुबबा 0.13 हे० भूमि  
 मे अंकित नाम नदरी वार्ड के स्थान पर नदरी वार्ड  
 दर्ज किया जाने तथा वरीयत के सम्बन्ध मे  
 लखीलदार नियमानुसार विविध प्रक्रिया अपनाते  
 हुए निर्णय पारित करें। तदनुसार रिड्डी  
 जारी हो। निर्णय गजमे आम मे शेर इमलास  
 सुनाया गया। पत्रावली कुंमल शुमार होकर  
 दाखिल दफतर हो

उपे अग्रिम  
 वांछित  
 अदालत  
 वाही गोरगा

5/6/18  
 (सो. क. व. 60)

अंतिम डिक्री मुकदमा  
(आ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक  
अदालत केम्प मोरपा

उनवान

प्रेमदेवी पत्नी नन्दकिशोर पुत्री माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला  
कोटा

— वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-188-92ए आरटीएक्ट


मिसल नम्बर-83/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-व-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.  
बहाजिरी मिनजानिव मुद्दई रुबरु मिनजानिव मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म  
दिया जाता है कि "वाद वादनी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम  
शाहपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 129 रकबा 0.13 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित  
नाम नट्टी बाई के स्थान पर बद्रीबाई दर्ज किया जावें तथा वसीयत के सम्बन्ध में  
तहसीलदार नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित करें।" तदनुसार अंतिम  
डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत्त0	0	0	मुत्त0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

  
(तारामती वैष्णव)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद